

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019...1692

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,  
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज,  
अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण,  
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :- 16-06-2021

विषय :- विगत सर्वेक्षण का अधिकार-अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में की जानेवाली कार्यवाही के संबंध में।

नहाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खगड़िया, जमुई एवं कतिपय अन्य जिलों से प्राप्त पत्र एवं हुए बैठकों में यह तथ्य प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्र-5 को तैयार करने में विगत अधिकार-अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही कुछ मौजों के विगत सर्वेक्षण का विभिन्न मौजा का मानचित्र उपलब्ध नहीं है।

इस अलोक में निदेशालय एवं विभागीय स्तर पर दिनांक-28.04.2021 एवं 09.06.2021 को बैठक किया गया एवं बैठक में मामले की समीक्षा पश्चात् कतिपय परामर्श प्राप्त हुए जिनके सहयोग से विगत सर्वेक्षण के खतियानों एवं नक्शों को उपलब्ध किया जा सकता है। यदि ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो जिन वैकल्पिक कागजातों की सहायता से ली जा सकती है, उसके संबंध भी परामर्श प्राप्त हुए। इन परामर्शों के आधार पर प्रपत्र-5 के निर्माण एवं नक्शों को उपलब्ध करने में सहायता मिल सकती है।

उक्त के आलोक में दिनांक-28.04.2021 एवं 09.06.2021 को हुए समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019-1653 दिनांक-11.06.2021 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त कार्यवाई वर्णित परामर्शों के आलोक में यथोचित कार्यवाई करने की कृपा की जाय।  
अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019...1692-पटना, दिनांक: 16-06-2021

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि बन्दोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार वांछित कागजात/अभिलेख आदि विधिवत् उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाएगा।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019..1692 पटना, दिनांक 16.06.2021  
प्रतिलिपि:- संबंधित जिलों के सभी निदेशालय, स्तरीय नोडल पदाधिकारियों, को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019..1692 पटना, दिनांक 16.06.2021  
प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019..1692 पटना, दिनांक :- 16.06.2021  
प्रतिलिपि:- सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण



दिनांक- 28.04.2021 एवं दिनांक- 09.06.2021 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रपत्र-5 का लेखन एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य करने हेतु वैकल्पिक कामजाती से सहायता लेने के संबंध में जूम के माध्यम से हुई बैठक की कार्यवाही।

दिनांक- 28.04.2021 की हुए बैठक में श्री श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0, सेवा-निवृत्त, श्री विनय कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, उप सचिव, राजस्व, बिहार, पटना एवं श्री सुबोध कुमार सिंह, बि0प्र0से0, आरक्ष सचिव, माननीय मंत्री, परिचय विभाग, बिहार, पटना भाग लिए।

दिनांक-09.06.2021 की बैठक में श्री कचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री चंद्रशेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री सुरील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन, श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकबन्दी, श्री अमिल कुमार सिंह, चकबन्दी अनुदेशक, चकबन्दी, एवं श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग ने बैठक में भाग लिए।

2. निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत विगत सर्वेक्षण परचात अधिसूचित अधिकार-अभिलेख/मानचित्र के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रथम धरण के 20 जिलों से यह सूचना दी जा रही है कि इन मामलों में प्रपत्र-5 किस प्रकार तैयार किया जाए, के संबंध मागदर्शन दिया जाए।

3. बैठक में उपस्थित सदस्यों से विनर्श परचात यह स्पष्ट हुआ कि विगत सर्वेक्षण के अधिसूचित अधिकार-अभिलेख की अनुपलब्धता की मौजावार निम्न स्थिति हो सकती है-

- (क) अधिकार-अभिलेख अनुपलब्ध, परंतु नक्शा उपलब्ध।
- (ख) अधिकार-अभिलेख उपलब्ध, परंतु नक्शा अनुपलब्ध।
- (ग) अधिकार-अभिलेख एवं नक्शा दोनों अनुपलब्ध।

4. दिनांक-28.04.2021 एवं 09.06.2021 की हुई बैठक परचात निम्न महत्वपूर्ण सुझाव विगत सर्वेक्षण के अधिकार-अभिलेखों एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्राप्त हुए-

- (i) सभी अनुपलब्ध अधिकार एवं मानचित्रों की मागवार (चादरो की स्पष्ट संख्या के साथ) सूची जिला राजस्व कार्यालय एवं अंचलों से प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त कर ली जाय।
- (ii) जिन मौजों के अधिकार-अभिलेख अंचलों एवं जिला अभिलेखागार में अनुपलब्ध है, उन मामलों में यह जांच कर ली जाय कि अनुपलब्धता के क्या कारण हैं एवं आवश्यकतानुसार संबंधित थाना में स्टेशन डायरी इट्री/प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। यदि पूर्व में विगत सर्वेक्षण के खतियान खोजे जाने अथवा नष्ट होने की घटना हुई हो तो इसकी सूचना स्थानीय थाना की स्टेशन डायरी इट्री तत्समय की गई हो, इस आशय की छानबीन जिला कार्यालय, राजस्व शाखा की स्तर से कर ली जाय।
- (iii) जिला अभिलेखागार एवं संबंधित अंचल कार्यालय में जिन मौजा का विगत सर्वेक्षण का खतियान अनुपलब्ध है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाना अपेक्षित होगा।
- (iv) जिला नज़ारत/जिला का सामान्य शाखा/बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से जिन मौजों के नक्शा के सभी चादर या कुछ चादर अनुपलब्ध हो तो उनसे भी इस आशय का प्रमाण-पत्र कर लिया जाना अपेक्षित होगा।



- (vi) अंचल कार्यालय में भी नक्शा रहते हैं, उनसे भी नक्शा अनुपलब्ध रहने की लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। संभव है कि इन सभी कार्यालय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के दौरान वांछित नक्शा उपलब्ध हो सके।
- (vii) यह भी संभव है कि अंचल अमीनों के पास भी अनुपलब्ध नक्शा की प्रति उपलब्ध हो जाए। अतः उनसे भी नक्शा अनुपलब्ध होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- (viii) विगत वर्षों में सू-अर्जन के मामलों में खतियान की प्रति बनाई गई है, अतः इन अभिलेखों से भी खतियान की प्रति विधिवत् प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है, यदि उक्त मीजे का खतियान वर्तमान में अनुपलब्ध हो तो।
- (ix) जिन राजस्व ग्रामों का खतियान/नक्शा अनुपलब्ध है वहाँ स्थानीय स्तर पर रैयतों/अन्य स्त्रोतों यथा सिंचाई विभाग के अधीन कार्यालय, वन विभाग के अधीन कार्यालय, पथ प्रसंबल विभाग आदि के पास पूर्व के खतियान का नकल एवं नक्शा उपलब्ध हो सकता है।
- (x) विगत खतियान/नक्शा उपलब्ध कराने के लिए लगातार तीन दिनों तक समाचार-पत्र एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अनुपलब्ध खतियान/नक्शा उक्त स्त्रोतों से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
- (xi) इस संबंध में यह भी अपेक्षित होगा कि रैयतों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले खतियान की प्रति/नकल का सत्यापन संबंधित जिले के अभिलेखागार से करा लिया जाय।
- (xii) साथ ही रैयतों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होनेवाले नक्शों का सत्यापन बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से कराया जाना अपेक्षित होगा।
- (xiii) सरकारी भूमि की जमाबंदी यदि विधिवत् दर्ज है तो ऐसे मामलों में खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जमाबंदी के आधार पर प्रपत्र-5 को तैयार किया जा सकता है, बशर्त कि उक्त जमाबंदी की सत्यापित सूची एवं विवाद रहित रहने का प्रमाण-पत्र अंचलाधिकारी द्वारा बन्दोबरत कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- (xiv) निम्न कागजातों के आधार पर भी प्रपत्र-5 तैयार किया जा सकता है बशर्त कि उन कागजों की सत्यापित प्रति जिला के समाहर्ता के स्तर से निर्णय प्रश्नात् जिला अभिलेखागार/अंचल कार्यालय से बन्दोबरत कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाए -
- (क) प्रपत्र-5 में खेसरो की विवरणी के लिए पूर्व में हल्का स्तर पर तैयार की गई खेसरा पंजी के आधार पर तैयार की जा सकती है।
- (ख) पूर्व में जमींदारों द्वारा सरकार को भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के आधार पर जमींदारी रिटर्न दाखिल किया गया था। यदि इन जमींदारी रिटर्न पर सभी विधिसम्मत कार्रवाई सम्पन्न कर ली गई तो इनके आधार पर भी प्रपत्र-5 तैयार करने की कार्रवाई की जा सकती है, बशर्त कि उक्त मीजा पुनरीक्षित सर्वे अधिसूचित न हो।



(ग) राज्य के पुराने अभिलेखागारों में पूर्व के समय के जमींदारों का एक "तोड़ी बस्ता" हुआ करता था। इन लीजों दरता में सधारित दरतावेजों की सहायता से प्रपत्र-5 को तैयार किया जा सकता है।

(घ) विगत सर्वेक्षणों के परभाव अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिला अभिलेखागारों में उक्त सर्वेक्षण के दौरान तैयार खेसरा पंजी एवं प्रारूप खतियान जो प्रकाशित हुए होंगे आपत्ति प्राप्त हेतु, के आधार पर भी प्रपत्र-5 विशेषकर सरकारी भूमि के मामले में, तैयार करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-19(9)रा0, दिनांक- 03.01.2018 जो क्षतिग्रस्त जमाबन्दी पंजी को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में है, को भी सन्दर्भित किया गया। उक्त पत्र में जिन 15 प्रकार के अभिलेखों/पंजीयों के आधार जमाबंदियों को पुनर्गठित करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है, उसका शताप्रतिशत अनुपालन अंतिम स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही इन के आधार पर भी प्रपत्र-5 के निर्माण का निर्णय लिया जा सकता है।

(च) जिन मामलों में विगत अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध हो उन मौजों के रैयतों द्वारा प्रपत्र-2 में दी गई स्वघोषणा में दिए गए विवरण का रैयतवाप स्थल सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही उपरोक्त (क) से (ङ) तक में वर्णित कागजातों के आधार पर सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। तत्परभाव ऐसे मामलों में जो प्रपत्र-5 तैयार होंगे, उनका ग्राम-समा में अनुमोदन अपेक्षित होगा तथा ऐसे मामलों में दरखल-कब्जा का कोई स्पष्ट मामला ना-हो, इस संबंध में अवगत होने के परभाव इनके आधार पर भी प्रपत्र-5 अंतिम रूप से तैयार किया जा सकता है एवं ऐसे सत्यापित आँकड़ों का अनुमोदन ग्राम-समा के माध्यम से किया जाए।

(xiv) चक्रबन्दी अभियान के तहत कई मौजों का सी0एस0/आर0एस0 खतियान एवं नक्शा चक्रबन्दी कार्यालयों द्वारा प्राप्त किया गया है और यह संभव है कि अनुपलब्ध खतियान एवं नक्शा इन कार्यालयों द्वारा वापस न किया गया हो। अतः ऐसे मामलों में जाँच कर अनुपलब्ध खतियान एवं नक्शा उपलब्ध कराया जा सकता है।

साथ ही चक्रबन्दी अभियान के तहत पूर्व खतियान के आधार पर प्रपत्र-17 का भाग-1 तैयार किया गया था, जिन मौजों का खतियान अनुपलब्ध है, उन मौजों का प्रपत्र-5 तैयार करने में प्रपत्र-17 के भाग-1 की मदद ली जा सकती है।

(xv) सिविल न्यायालय द्वारा कतिपय मामलों में मौजों का खतियान प्रदर्श हेतु मांग की जाती है और यह संभव है कि न्यायालय का मौजों का खतियान वापस न हुआ हो। ऐसे मामलों में अंतिम कार्यालय, जिला विधि शाखा एवं जिला अभिलेखागार, सरकारी अधिकता तथा लोक अभियोजक से संपर्क कर अनुपलब्ध खतियानों को न्यायालयों से विधिवत् प्राप्त कर सकते हैं।

5 बैठक के दौरान कुछ अन्य सुझाव भी प्राप्त हुए, जो विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सहायक होंगे-



- (i) जिन मौजों का खतियान अनुपलब्ध हो, वहाँ यदि नक्शा उपलब्ध है तो उन नक्शों में सार्वजनिक सरकारी भूमि के चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित होते हैं, उसके आधार पर भी सरकारी भूमि मामले उन्हें पहचाने अथवा चिह्नित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
- (ii) जिन मौजों का खतियान अनुपलब्ध हो, उक्त राजस्व ग्राम का अमर सी०एस०/आर०एस० नक्शा उपलब्ध है तो बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से उक्त राजस्व ग्राम का सी०एस०/आर०एस० नक्शा के आधार पर खेसरावार रकबा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग प्रपत्र-5 के निर्माण में हो सकता है।
- (iii) अंचलों में भी सरकारी भूमि/सेरातों/भू-हदबंदी से अर्जित भूमि की पंजी होती है। अंचल कार्यालय द्वारा भी इन पंजियों से सत्यापित सूची का मांग कर प्रपत्र-5 तैयार करने में मदद ली जा सकती है।
- (iv) विभिन्न मौजों का खतियान अनुपलब्ध है परन्तु विगत कई वर्षों से राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूमि एवं सेरातों की पंजी हल्का कचहरी में संचालित रखा जाता है। उक्त स्तर से भी अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त की जा सकती है। इन मांगलों में हल्का कर्मचारियों के स्तर से अगर सरकारी भूमि की पंजी उनके हल्का कचहरी में नहीं है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र विद्यमान प्राप्त कर लिया जाय।
- (v) कुछ जिलों यथा- दरभंगा प्रमंडल के जिले एवं अन्य जिलों में विगत सर्वेक्षण (आर०एस०) के खतियान एवं नक्शा अधिसूचित किए जाने के बावजूद अभी भी जमाबंदी सी०एस० खतियान के आधार पर है। ऐसे जिलों में यह आवश्यक होगा कि वहाँ विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व जमाबंदी को नये अधिकार-अभिलेख के आधार पर अद्यतन/संशोधन कर लिया जाय।
- (vi) सरकारी भूमि जो अर्जन, दान, विपरी, हस्तांतरण से विभिन्न विभागों को प्राप्त हुआ है और उनकी जमाबंदी दर्ज नहीं है। ऐसे मामलों में अविलंब उक्त विभागों के स्तर से सक्रियता के साथ अंचल कार्यालय से जमाबंदी कायम कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अंत में सभन्वयवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
बिहार, पटना।

शापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा०)-101/2019-1653 पटना, दिनांक: -11-08-2021

प्रतिलिपि- श्री श्यामल किशोर पाठक, भा०प्र०से०, (सेवा-निवृत्त)/श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री चंद्रशेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन/श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, धकबन्दी निदेशालय/श्री अनिल कुमार सिंह, धकबन्दी अनुदेशक, धकबन्दी निदेशालय /श्री विनय कुमार ठाकूर, भा०प्र०से०, उप सचिव, राजभवन/श्री सुबोध कुमार सिंह, भा०प्र०से०, आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग/श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

आपका: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)-101/2019-1653 पटना, दिनांक :-11-06-2021  
प्रतिलिपि- सूश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सील, भू-अभिलेख एवं  
परिमाण निदेशालय को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

आपका: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)-101/2019-1653 पटना, दिनांक :-11-06-2021  
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमे सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त  
सचिव को सूचनाार्थ प्रेषित।

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण